



कार्यालय, नगर पालिका निगम कोरबा (छ.ग)

मुख्य कार्यालय – संपदा शाखा, साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

फोन नं. 221288–222672, फैक्स :- 07759–221288, 221929

Website: www.korbamunicipal.in, Email Id-corporationkorba@gmail.com

फा.क. / 15 / संपदा / 2022

कोरबा दिनांक

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना/महिला समृद्धि स्वावलंबन योजना/राजीव स्वावलंबन योजनांतर्गत विभिन्न वर्ग के रिक्त दुकानों का आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा राज्य शासन की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न वर्ग के रिक्त कुल 13 दुकानों को 03 वर्ष की लीज पर आवंटन हेतु दिनांक २५.०६.२२ से २५.०७.२२ तक पत्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र रूपये 100/- शुल्क जमा कर नगर पालिका निगम कोरबा के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री/राजीव स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के युवक/युवती एवं महिला समृद्धि योजना हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जिनके पास स्वयं का कोई रोजगार साधन नहीं है तथा जिनके अभिभावक व पालक की आय एक लाख रूपये प्रतिवर्ष के अंदर है, इस योजना के लिए पत्र होगे, निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों में दुकानों का आवंटन हेतु आवंटितियों का चयन जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा। आयु आय, आरक्षित वर्ग एवं निगम क्षेत्र में निवास का प्रमाण पत्र आवेदक आवेदन के साथ संलग्न कर राशि रु. 5000/- अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा। चयनित हितग्राहियों द्वारा जमा अमानत राशि दुकान के सुरक्षा निधि में समायोजन कर लिया जावेगा। आधिपत्य के समय सुरक्षा राशि रु. 5000/- जमा करना होगा।

क्र.	स्थल का नाम	रिक्त दुकान की संख्या	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल वर्गफीट में	आरक्षण वर्ग	मासिक किराया
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित काम्प्लेक्स की रिक्त दुकान 11						
1	बुधवारी बाजार के समीप काम्प्लेक्स	1	75	8 x 10	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	1250
2	पटेल नगर दर्दी जोन समीप काम्प्लेक्स	10	01	8 x 10	अनुजाति	1250
			02	8 x 10	अनुज.जा.	1250
			09	8 x 10	महिला	1250
			03, 04, 05, 06, 07, 08, 10	8 x 10	अनारक्षित	1250
महिला समृद्धि स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित काम्प्लेक्स की रिक्त दुकान 02						
3	पं. रविशंकर शुक्ल नगर के समीप काम्प्लेक्स	2	42, 43	8 x 10	अनारक्षित	1250

शर्त :-

- उपरोक्त स्थल की दुकानों का मासिक किराया 1250/- एवं लीज अवधि तीन वर्ष रहेगी।
- दुकानों को यथा स्थिति आधिपत्य में लेना होगा।
- आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- दुकान आबंटन की विशेष जानकारी/शर्त नगर पालिका निगम कोरबा कार्यालय के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

QMS
संपदा अधिकारी
नगर पालिका निगम
कोरबा (छ.ग.)